# न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पंत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार वासगीत पर्चा वाद सं0–05/2013 मो0 फारूख उर्फ भूटो बनाम मंसूर

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 07.11.2017 | *आदेश*<br>यह वासगीत पर्चा वाद मो0 फारूख उर्फ भूटा पे0 स्व0 सुलमान, साकिन–चकयूसुफ, परगना–फरकिया, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा दायर किया गया है।<br>अपीलार्थी का कहना है कि स्व0 सुलेमान मियां मो0–जमालपुर चकयूसुफ अंचल+थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया के नाम से तौजी नं0–1847 थाना नं0–309/1 खाता–04 खेसरा नं0–39 रकवा 01 कट्ठा 10 धूर जमीन वास की है, जिसमें 80 वर्ष पूर्व उनके पिता एवं उत्तरवादी द्वारा मकान बनाया गया था और उस मकान में परिवार के साथ रह रहे हैं। मो0 सुलेमान की मृत्यु हो गयी। उसकी पत्नी बीबी अमोला खातून एवं तीन पुत्र मंसूर मियां मो0 चंसूर मियां एवं मो0 फारूख उर्फ भूट्टो मियां जो उत्तरवादी एवं जेष्ठ पुत्र हैं। मो0 चंसूर मियां की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी एवं पुत्र अपने दखल कब्जा में है और अपीलार्थी भी अपने हिस्से के 10 धुर की जमीन एवं मकान पर काबिज है। जब उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया गया तो जिला पदाधिकारी के जनता दरवार एवं आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के यहॉ आवेदन दिया, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को भेज दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा बताया गया कि उत्तरवादी के नाम से वासगीत पर्चा वर्ष 1976–77 में निर्गत किया गया है। वर्ष 1976–77 में उत्तरवादी, अपीलार्थी एवं उनके भाई मो0 चंसूर नवालिग थे।<br>उनका यह भी कहना है कि 80 वर्ष पूर्व उनके पिता स्व0 सुलेमान मियां द्वारा समुचे जमीन पर मकान बनाया गया है और अपीलार्थी, उत्तरवादी एवं उनके भाई परिवार के साथ निवास कर हैं। यह जमीन वेलगान थी, उनके पिता एवं माता द्वारा चौकीदारी लगान रसीद नियमित रूप से कटाते आ रहे हैं। उत्तरवादी द्वारा गैरकानूनी ढंग से पर्चा बनवाया गया है। यह जमीन एवं मकान नगर पंचायत गोगरी के अधीन है और Municipal क्षेत्र जो Bihar Home Stead priviledge person Tenancy Act अन्तर्गत नहीं आता है। अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। इसलिए उक्त नियम के तहत यह खारिज करने लायक है। उनके द्वारा इस अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्गत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।<br>उत्तरवादी मो0 मंसूर का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा यह वाद 40 वर्षो बाद लाया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील | |

आवेदन में यह कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि वर्ष 1976–77 से वे अब तक क्यों बैठे थे और कथित आदेश को किसी वरीय न्यायालय में क्यों नहीं चुनौती दी गयी। बल्कि उनके द्वारा यह स्वयं लिखा गया है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–1/2011–12 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.07.12 से उन्हें यह मुकदमा दाखिल करने का कारण उत्पन्न हुआ। मुकदमा का कारण उत्पन्न होना अलग बात है और विलम्ब की क्षांति अलग बात है। ऐसी स्थिति में करीब 40 वर्षो बाद बिना पर्याप्त कारण बताये वासगीत पर्चा के विरूद्ध दाखिल किया गया केस कानूनी दृष्टिकोण से चलने लायक नहीं है।

उनका यह भी कहना है कि इसी दावे से संबंधित अपीलार्थी के द्वारा एक फोरम को अपनाते हुए भूमि विवाद निराकरण वाद दाखिल किया गया था जिसमें स्वीकारात्मक रूप से इसका फैसला उनके विरूद्ध एवं उत्तरवादी के पक्ष मे हो चुका है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता न्यायालय को भी कोई कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि उसका अपील प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। स्वीकारात्मक रूप से भूमि विवाद निराकरण वाद के आदेश के विरूद्ध कोई अपील भी दाखिल नहीं की गयी है। जिस कारण भी वह आदेश अपीलार्थी पर बाध्यकारी है। जिसके विपरित कोई आदेश पारित नहीं की जा सकती है। उत्तरवादी को उपरोक्त परिस्थिति में अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में डी0बी0नं0–51/विधि, दिनांक 28.05.13 से अंचल अधिकारी, गोगरी से पर्चा वाद सं0–16/1976–77 की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोगरी ने अपने पत्रांक 1202 दिनांक 02.08.13 से प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें उल्लेख किया है कि अंचल कार्यालय, गोगरी के वासगीत पर्चा वाद सं0–16/1976–77 अंचल कार्यालय गोगरी में उपलब्ध नहीं है।

राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय को बताया गया एवं लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि यह वाद जिस आदेश के विरूद्ध लाया गया है उस आदेश की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल नहीं की गयी है। करीब 40 वर्षो के बाद यह मुकदमा लाया गया है, बिहार सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अन्य कानूनी बिन्दुओं को उठाते हुए इस अपील वाद को पोषणीय योग्य नहीं बताया गया है एवं खारिज करने की अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलार्थी वर्षो के उक्त खाता–खेसरा की जमीन में परिवार के साथ रह हैं और नियमानुसार नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया जा सकता है। इसलिए उत्तरवादी के नाम से निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वर्षो पूर्व नियमानुसार अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा उत्तरवादी के

नाम से वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, इसलिए अपीलार्थी का अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी किसी के द्वारा अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा निर्गत पर्चा की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न हीं अंचल कार्यालय गोगरी में वासगीत पर्चा वाद संख्या–16/1976–77 उपलब्ध है। अपलार्थी द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में कोई कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे एवं उनके भाई चंसूर के परिवार उस मकान में वर्षो पूर्व से निवास करते आ रहे हैं। अपीलार्थी का यह कहना कि उनके पिता एवं माता द्वारा चौकीदारी रसीद कटाते आ रहे हैं, चौकीदारी रसीद की भी प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी के आवेदन में यह उल्लेख किया गया कि तीनों भाई पर्चा निर्गत के समय नबालिग थे। इस संबंध में भी कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य एवं कागजात के कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा उत्तरवादी का भी दावा खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।